न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 99 / 2023

1 पवन कुमार
2 योगेन्द्र पुत्रगण ब्रह्मप्रकाश जाति अहीर निवासी ग्राम बा सपदम का तहसील पटौदी जिला गुड़गांव हरियाणा।

अपीलांटस

बनाम

1 जगदीश
2 बजरंगलाल
3 सत्यनारायण पुत्रगण देवाराम उर्फ देवाराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम धींगड़िया तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
4 पंजाब नेशनल बैंक शाखा सूरजगढ़ जरिये शाखा प्रबंधक।
5 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ. धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय 1955 अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 04.10.2022 बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर सूरजगढ़ मुकदमा उनवानी जगदीश बनाम पवन कुमार मु.नं. 66 / 2018 अ. धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :
1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 10/3/26

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 66/2018 में पारित निर्णय दिनांक 04.10.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए बाबत भूमि खसरा नम्बर 395, 66, 60, 34 वाके ग्राम घीगड़ीया का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने आलौच्य निर्णय पारित करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण दिनांक 12.06.2018 को दर्ज हुआ है। प्रकरण की आदेशिका पर करीब 15—16 तारीख पेशियों पर न्यायालय की शील मोहर लगाकर आगामी तारीख तय की गई है। दिनांक 25.02.2021 की तारीख पर लिखा है कि अनावेदक नम्बर 2 से 4 की तामील असालतन होकर प्राप्त हुई तथा अनावेदक नम्बर 1 की तामील शेष है। अपीलान्ट नम्बर 2 ही विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अनावेदक नम्बर 2 देवेन्द्र थ। देवेन्द्र के नाम का तामीली नोटिस पत्रावली में नही है। अपीलान्ट देवेन्द्र अलग हरियाणा स्टेट का है इस कारण प्रकरण में दर्ज पता के मुताबिक अपीलान्ट नम्बर 2 देवेन्द्र की तामील असालतन होने का मतलब ही नहीं है तथा अपीलान्ट नम्बर 1 पवन कुमार की तामील जरिये रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से करवाये जाने के आदेश दिनांक 13.07.2021 को दिए। विचारण न्यायालय की पत्रावली में जो डाक रसीद पेश की गई है उसमें सिर्फ पाटोदी का पता है पवन कुमार का गांव बास पदमा का है। अपीलान्ट नम्बर 1 को

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

कभी कोई प्रकरण के नोटिस प्राप्त नही हुये। पत्रावली के डाक डिलीवरी की कोई रिपोर्ट नहीं है इस प्रकार बिना पर्याप्त तामील के अपीलान्ट नम्बर 1 व 2 के विरूद्ध दिनांक 29.09.2022 को गलत तरीके से एकपक्षीय कार्यवाही आदेश पारित पर गलत रूप से आलौच्य निर्णय पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की जमीन ग्राम धींगड़िया की सरहद में स्थित है तथा अपीलान्ट की जमीन ग्राम चौराड़ी अगूणी में स्थित है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 3 की जमीन खसरा नम्बर 395 के नजदीकी रास्ता खसरा नम्बर 391 व 397 वाके धींगड़िया के पूर्व दिशा में स्थित आम सड़क चौराड़ी से बड़बर को जाने वाली सड़क से नजदीकी है एवं अपनी जाति बिरादरी के खेतों में से आना–जाना रहा तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 3 की जमीन खसरा नम्बर 395 में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 61 व 65 ग्राम चौराड़ी अगूणी से वैकल्पिक रास्ता मौजुदा है। कानून से धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण में पक्षकारान की तामील के बाद ही तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाए जाने का प्रावधान है लेकिन मौजुदा प्रकरण में प्रथम आदेशिका में ही उक्त मौका जांच रिपोर्ट के आदेश किए है जो कानूनन गलत है। पत्रावली में भू–अभिलेख निरीक्षक की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 10.09.2018 संलग्न है जिसकी मद संख्या 2 मे लिखा है कि वादी (जगदीश) वर्तमान में ग्राम चौराड़ी अंगूणी से पड़ौसी खातेदार के खेतों से होकर वर्तमान में अपने खेत में आता है। इसी प्रकार भू–अभिलेख निरीक्षक ने मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 10.09.2018 की मद संख्या 5 में लिखा है कि वादी द्वारा पूर्व में मु.नं. 56/2013 के द्वारा भी रास्ता चाहा गया था। जिसकी दुरी 281 मीटर की है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। इस प्रकार भू–अभिलेख निरीक्षक सूरजगढ़ की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 3 की जमीन खसरा नम्बर 395 में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता मौजुद है तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 जगदीश ने मु.नं. 56/2013 अ. धारा 251 ए आर.टी.एक्ट को मौजुदा प्रकरण में छुपाया है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए बाबत भूमि खसरा नम्बर 395, 66, 60, 34 वाके ग्राम घीगड़ीया का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। तहसीलदार सूरजगढ़ की मौका रिपोर्ट क्रमांक पाठक/2018/542 दिनांक 25.10.2018 का अवलोकन किया गया जिसमें बताया गया कि खसरा नम्बर 60, 66 में पूर्व मे कोई कटानी रास्ता नहीं है एव ना ही कोई प्रचलित रास्ता मौके पर मौजूद है। नया रास्ता कायम करने से खसरा नम्र 60 रकबा 1.62 है. में 124 X 3 = 372 वर्गमीटर भूमि में से खातेदार पवन पुत्र ब्रह्मप्रकाश (233 वर्गमीटर) एवं योगेन्द्र पुत्र ब्रह्मप्रकाश (139 वर्गमीटर) की कम होगी तथा खसरा नम्बर 66 रकबा 6.09 है. में 200 X 3 = 600 वर्गमीटर भूमि में से खातेदार पवन पुत्र ब्रह्मप्रकाश (299 वर्गमीटर) एवं योगेन्द्र पुत्र ब्रह्मप्रकाश (301 वर्गमीटर) की कम होगी। दोनों खसरा नम्बर में 60 + 66 = 972 वर्गमीटर भूमि कम होगी जो नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। आवेदक की कृषि भूमि खसरा नम्बर 395 वाके स्थिति ग्राम धींगड़ीया में न तो राजस्व रिकार्ड में कटानी रास्ता है और ना ही आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने की रिपोर्ट आयी है। भू.अ. निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 10.09.2018 से प्रतीत होता है कि खसरा नम्बर 60 की पश्चिमी सीमा पर आम रास्ता स्थित है। खसरा नम्बर 60 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे 124 X 3 = 372 वर्गमीटर तथा खसरा नम्बर 66 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे 200 3 600 वर्गमीटर कुल रास्ते की भूमि 972 वर्गमीटर में नया रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित है। उक्त रास्ते के अलावा आवेदक के लिए अन्य कोई सुविधाजनक रास्ते का विकल्प नहीं है। भू.अ. निरीक्षक की रिपोर्ट

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

दिनांक 10.09.2018 के साथ पेश नजरी नक्शा में दर्शित खसरा नम्बर 60 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे 124 X 3 = 372 वर्गमीटर तथा खसरा नम्बर 66 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे 200 X 3 = 600 वर्गमीटर कुल रास्ते की भूमि 972 वर्गमीटर में नया रास्ता कायम कर कोई विधिक त्रुटि नही की है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट पवन व योगेन्द्र की सम्यक तामील हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 पवन की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक करवायी गई है। अपीलान्ट के अलावा विचारण न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 3 व 4 भी पक्षकार थे। इनके द्वारा विचाराधीन निर्णय को चुनौती नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय ने धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के अनुसार रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होना, निकटतम दूरी का रास्ता होना निर्धारित् कर विधिक प्रक्रिया अनुसार विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील मियाद एवं गुणावगुण दोनों पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए बाबत भूमि खसरा नम्बर 395, 66, 60, 34 वाके ग्राम घीगड़ीया का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया।

विचारण न्यायालय में प्रस्तुत तहसीलदार सूरजगढ़ की मौका रिपोर्ट कमांक पाठक/2018/542 दिनांक 25.10.2018 के अनुसार खसरा नम्बर 60, 66 में पूर्व मे कोई कटानी रास्ता नहीं है एव ना ही कोई प्रचलित

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

रास्ता मौके पर मौजूद है। नया रास्ता कायम करने से खसरा नम्र 60 रकबा 1.62 है. में 124 X 3 = 372 वर्गमीटर भूमि में से खातेदार पवन पुत्र ब्रह्मप्रकाश (233 वर्गमीटर) एवं योगेन्द्र पुत्र ब्रह्मप्रकाश (139 वर्गमीटर) की कम होगी तथा खसरा नम्बर 66 रकबा 6.09 है. में 200 X 3 = 600 वर्गमीटर भूमि में सें खातेदार पवन पुत्र ब्रह्मप्रकाश (299 वर्गमीटर) एवं योगेन्द्र पुत्र ब्रह्मप्रकाश (301 वर्गमीटर) की कम होगी। दोनों खसरा नम्बर में 60 + 66 = 972 वर्गमीटर भूमि कम होगी जो नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

आवेदक की कृषि भूमि खसरा नम्बर 395 वाके स्थिति ग्राम धींगड़ीया में न तो राजस्व रिकार्ड में कटानी रास्ता है और ना ही आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने की रिपोर्ट आयी है। भू.अ. निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 10.09.2018 से प्रतीत होता है कि खसरा नम्बर 60 की पश्चिमी सीमा पर आम रास्ता स्थित है। खसरा नम्बर 60 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे 124 X 3 = 372 वर्गमीटर तथा खसरा नम्बर 66 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे 200 3 600 वर्गमीटर कुल रास्ते की भूमि 972 वर्गमीटर में नया रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित है। उक्त रास्ते के अलावा आवेदक के लिए अन्य कोई सुविधाजनक रास्ते का विकल्प नहीं है। भू.अ. निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 10.09.2018 के साथ पेश नजरी नक्शा में दर्शित खसरा नम्बर 60 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे 124 X 3 = 372 वर्गमीटर तथा खसरा नम्बर 66 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे 200 X 3 = 600 वर्गमीटर कुल रास्ते की भूमि 972 वर्गमीटर में नया रास्ता कायम कर कोई विधिक त्रुटि नही की है।

विचारण न्यायालय में अपीलान्ट पवन व योगेन्द्र की सम्यक तामील हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 पवन की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक करवायी गई है। अपीलान्ट के अलावा विचारण न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 3 व 4 भी पक्षकार थे। इनके द्वारा विचाराधीन निर्णय को चुनौती नहीं दी गई है।

विचारण न्यायालय ने धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के अनुसार रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होना, निकटतम दूरी का रास्ता होना निर्धारित कर विधिक प्रकिया अनुसार विचाराधीन निर्णय पारित करने में

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10/3/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर